

**राजस्थान सरकार**  
**राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर**

दिनांक 01.04.2017 को परिपक्व हो रही राज्य बीमा पॉलिसियों के  
क्लेम फॉर्म ऑनलाईन सबमिट करने के सम्बन्ध में :-

- i. वे राज्य कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ति वित्तीय वर्ष 2017-18 में होगी उनकी राज्य बीमा पोलिसी दिनांक 01.04.2017 को परिपक्व हो रही है।
- ii. परिपक्व राज्य बीमा पोलिसियों के दावों के अग्रिम निस्तारण हेतु विभाग द्वारा सघन अभियान चलाया जाकर दिनांक 01.04.2017 से पूर्व अग्रिम भुगतान अधिकार पत्र जारी किये जायेंगे।
- iii. अतः सभी राज्य कर्मचारी जिनकी पोलिसी 01.04.2017 को परिपक्व हो रही है, वे अपना क्लेम फॉर्म दिनांक 31.01.2017 तक विभाग के संबंधित जिला कार्यालय में पहुँचाना सुनिश्चित करें।
- iv. राज्य बीमा परिपक्वता दावा प्रपत्र इस बार SIFP Portal के माध्यम से ऑनलाईन सबमिट किया जाना है इस हेतु प्रक्रिया निम्न प्रकार रहेगी :-

**(बीमेदार के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही)**

- a. बीमेदार स्वयं की Login ID and Password से SIFP Portal Open करेंगे।
- b. पोर्टल के दायी तरफ Apply Option दिखाई देगा, जिसे क्लिक करने पर Quick Apply Option Show होगा, जिसे Click करने पर Application Form दिखेगा।
- c. Application Form में Application Type Select करने पर SI Claim चयन करने के पश्चात Employee status में Superannuation को चयन करने पर Maturity Claim Form पूर्ण होगा जिसे Submit किया जाना है।

**(DDO के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही)**

- a. बीमेदार द्वारा Online Submitted Application को DDO अपनी Login ID and Password से SIFP Portal Open करेंगे।
- b. उक्त Claim Form DDO की Pending Task में Search करने पर उपलब्ध होगा जिसे सम्बंधित कर्मचारी के सेवाभिलेख से जन्म तिथि आदि की जाँच पश्चात् Approve किया जायेगा।
- c. Approved Application को पोर्टल के बायी तरफ MISC→Report→Quick Apply Claim पर जाकर समयावधि एवं Application Type का चयन करने के बाद Search पर Click करने पर Submitted Claims Forms की सूची प्राप्त होगी जिसमें से सम्बंधित बीमेदार के नाम/आई.डी. पर क्लिक करने पर Claim Form Print Option उपलब्ध होगा जहाँ से Claim Form का Print लेना है।
- d. Printed Claim Form में जो कॉलम रिक्त हो उनकी समूचित पूर्ति करते हुये बीमेदार एवं सम्बंधित DDO के हस्ताक्षर पश्चात आवश्यक दस्तावेज जैसे मूल बीमा पॉलिसी, बीमा रिकॉर्ड बुक आदि सहित कर्मचारी के पदस्थापित इस विभाग के जिला कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

यदि SIFP Portal पर Claim Form ऑनलाईन सबमिट करने में किसी प्रकार की समस्या आवे तो विभाग के स्थानीय जिला कार्यालय/मुख्यालय स्थित हेल्पडेस्क **18001806268**, मुख्यालय सिस्टम/बीमा अनुभाग के अधिकारियों से कार्यालय समय में सम्पर्क किया जा सकता है।

दिनांक :- 13.01.2017

धनलाल शेरावत  
अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम्स